


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 41/2021 (2021/230) अनवान मांगीलाल बनाम घेवरराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>10.03.2026</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक ता छः की सहखातेदारी की कृषि भूमियां वाके राजस्व ग्राम केरली तहसील लूणी (वर्तमान तहसील झंवर) जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 868 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 869/1 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 871 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 872 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा आयी हुई स्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में यथाआवश्यक विवादग्रस्त कृषि भूमियों के नाम से संबोधित की जावेगी। चुकी मूल वाद संख्या 43/2021 अनवान मागीलाल बनाम घेवरराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 12.01.2026 को प्राथमिक डिक्री आदेश मय डिक्री पर्चा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही होना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक ता छः की सहखातेदारी की कृषि भूमियां वाके राजस्व ग्राम केरली तहसील लूणी (वर्तमान तहसील झंवर) जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 868 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 869/1 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 871 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 872 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा में उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,</b>  <b>लूणी</b> </p>	